सैंटा क्लाराघाटी परिवहन प्राधिकरण
(Santa Clara Valley Transportation Authority, VTA)
शीर्षक VI

संगठनात्मक प्रतिबद्धता

सिलिकॉन घाटी का केंद्र सैंटा क्लारा काउंटी, देश में सबसे नवाचारी, सृजनशील एवं विविध समुदायों में से एक का निवास स्थान है। 1.7 मिलियन की आबादी वाले काउंटी के आधे से अधिक निवासी अपने घर पर उस समान जनांकिकी में संयुक्त राज्य की 20% आबादी की तुलना में अंग्रेजी से भिन्न भाषा बोलते हैं।

हमारे बहु-सांस्कृतिक ग्राहक आधार के कारण, VTA अपने अवसरों एवं दायित्वों को सक्रियता से यह सुनिश्चित करते हुए स्वीकार करता है कि हमारी नीतियां, सेवाएं एवं कार्यक्रम ऐसे संचार उपकरणों एवं प्रक्रियाओं द्वारा प्रदान की जाएं, जो समावेशी एवं प्रभावी हों। इन कार्रवाइयों के माध्यम से, हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रजाति, रंग, या राष्ट्रीय उत्पत्ति के कारण हमारी परिवहन सेवाओं, कार्यक्रमों एवं सूचनाओं तक सार्थक पहुंच से वंचित न हो।

कम आय, अल्पसंख्यक, एवं सीमित अंग्रेजी प्रवीणता वाले व्यक्तियों को अपनी सेवाओं, परियोजनाओं एवं गतिविधियों तक सार्थक पहुंच प्रदान करने के लिए VTA शीर्षक VI तथा सीमित अंग्रेजी प्रवीणता (LEP) एवं पर्यावरणीय न्याय पर अपने कार्यपालक आदेशों के लक्ष्य का समर्थन करता है।

VTA शीर्षक VI के तहत अपनी नियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रति प्रभावशाली ढंग से प्रतिबद्ध है। संगठन इस तरह संरचित है कि शीर्षक VI एवं LEP से संबंधित होने के कारण सभी भेदभाव-रोधी नीतियों का नीति विकास, प्रशिक्षण, नियामक अनुपालन, रिपोर्टिंग एवं निगरानी का निरीक्षण एवं प्रबंधन एक विभाग यानी नागरिक अधिकार कार्यालय (Office of Civil Rights) में केंद्रित हो। संगठन के अंदर प्रत्येक प्रभाग के कर्मचारी शीर्षक VI के हमारे कार्यक्रम की सफलता में योगदान करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

शीर्षक VI के संबंध में, VTA:

- सुनिश्चित करेगा कि प्रजाति, रंग, या राष्ट्रीय उत्पत्ति पर ध्यान दिए बिना परिवहन सेवा का स्तर एवं गुणवत्ता प्रदान की जाए।
- अल्पसंख्यक लोगों एवं कम आय वाले लोगों पर कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों समेत मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर असंगत रूप से अधिक एवं प्रतिकूल प्रभावों की उपयुक्त ढंग से पहचान करेगा एवं दूर करेगा।
- परिवहन संबंधी निर्णय लेने में सभी प्रभावित लोगों की पूर्ण एवं उचित भागीदारी को बढ़ावा देगा।
- अल्पसंख्यक लोगों या कम आय वाले लोगों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों एवं गतिविधियों से संबंधित लाभों के त्याग, कटौती, या विलंब पर रोक लगाएगा।
- सीमित अंग्रेजी प्रवीणता वाले व्यक्तियों की कार्यक्रमों एवं गतिविधियों तक सार्थक पहुंच का सुनिश्चय करेगा।

जनता के लिए सूचना

1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के शीर्षक VI तथा सभी संबद्ध संविधियों का पूर्ण अनुपालन आश्वस्त करने के लिए सैंटा क्लारा घाटी परिवहन प्राधिकरण (VTA) अपनी नीति का सार्वजनिक नोटिस देता है। शीर्षक VI में यह अपेक्षा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी व्यक्ति प्रजाति, रंग, या राष्ट्रीय उत्पत्ति के आधार पर VTA के किसी कार्यक्रम या गतिविधि में भाग लेने से बाहर नहीं होगा, उसके लाभों से वंचित नहीं होगा, या उसके साथ अन्यथा भेदभाव नहीं होगा।

VTA के शीर्षक VI एवं अन्य भेदभाव-रोधी दायित्वों पर अतिरिक्त सूचनाओं का अनुरोध करने या VTA की परिवहन सेवाओं, परियोजनाओं एवं अध्ययनों के बारे में पूछताछ करने के लिए, कृपया (408)321-2300/(408)321-2330 TTY पर ग्राहक सेवा केंद्र को कॉल करें या customer.service@vta.org पर ईमेल करें। दस्तावेज, अंग्रेजी से भिन्न भाषाओं में या विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम बनाए गए प्रारूपों में उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

कोई व्यक्ति जो यह विश्वास करता है कि उसे VTA की किसी सेवा, कार्यक्रम या गतिविधि में भाग लेने से बाहर किया गया है, उसके लाभों से वंचित किया गया है, या उसके साथ अन्यथा भेदभाव किया गया है तथा विश्वास करता है कि भेदभाव प्रजाति, रंग, या राष्ट्रीय उत्पत्ति पर आधारित है, तो वह औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकता है। यह भेदभाव-रोधी संरक्षण VTA के तृतीय पक्ष ठेकेदारों की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों पर भी लागू होता है।

VTA या इसके तृतीय पक्ष ठेकेदारों के विरूद्ध शिकायतें शीर्षक VI शिकायत फॉर्म (नीचे दिया गया है) का प्रयोग करके लिखित में या (408) 321-5571 पर कॉल करके दर्ज कराई जा सकती हैं। भरे एवं हस्ताक्षर किए गए फॉर्म निम्नलिखित को भेजे जा सकते हैं:

Title VI Coordinator
Office of Civil Rights
Santa Clara Valley Transportation Authority
3331 North First Street, B-1
San Jose CA 95134

यदि आप लिखित में शिकायत दर्ज कराने में असमर्थ हैं, तो शीर्षक VI समन्वयकर्ता द्वारा आपकी मौखिक शिकायत स्वीकार की जाएगी तथा लिखित रूप में परिवर्तित की जाएगी। मौखिक शिकायत करने के लिए, (408) 321-5571 पर कॉल करें। शिकायतें कथित भेदभावपूर्ण कार्य (या नवीनतम घटना) की तिथि से 180 दिन के अंदर अवश्य प्रस्तुत की जाएं।

शिकायतें समान रोजगार अवसर आयोग [Equal Employment Opportunity Commission] (EEOC) www.eeoc.gov; संघीय संक्रमण प्रशासन [Federal Transit Administration] (FTA) www.fta.dot.gov; या उचित रोजगार एवं आवास विभाग [Department of Fair Employment and Housing] (DFEH) www.dfeh.ca.gov के पास भी सीधे दर्ज कराई जा सकती हैं। शीर्षक VI शिकायतें दर्ज कराने के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, कृपया संबंधित एजेंसी की वेबसाइट पर सूचनाओं की समीक्षा करें।

शिकायत प्रक्रिया

सैंटा क्लारा घाटी परिवहन प्राधिकरण (VTA) सभी नागरिकों को अपनी परिवहन सेवाओं तक समान पहुंच प्रदान करता है। VTA का यह भी इरादा है कि सभी नागरिकों को ऐसी पहुंच के बारे में अपने अधिकारों की जानकारी हो। यह साइट नागरिकों के लिए एक शैक्षिक उपकरण के रूप में काम करने के लिए तैयार की गई है ताकि वे नागरिक अधिकार के कानूनों में से एक को समझ सकें, जो VTA कार्यक्रमों एवं सेवाओं के उनके लाभ की विशेष रूप से रक्षा करता है, क्योंकि यह 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के शीर्षक VI से संबंधित है।

शीर्षक VI क्या है?

शीर्षक VI, 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम की एक धारा है जिसके तहत यह अपेक्षा है कि संयुक्त राज्य में कोई भी व्यक्ति प्रजाति, रंग, या राष्ट्रीय उत्पत्ति के आधार पर संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले किसी कार्यक्रम या गतिविधि में भाग लेने से बाहर नहीं होगा, उसके लाभों से वंचित नहीं होगा, या उसके साथ भेदभाव नहीं होगा।? नोट करें कि शीर्षक VI, लैंगिक भेदभाव पर ध्यान नहीं देता। यह केवल प्रजाति, रंग, या राष्ट्रीय उत्पत्ति को शामिल करता है। नागरिक अधिकार के अन्य कानून लैंगिक भेदभाव पर रोक लगाते हैं।

सीमित अंग्रेजी प्रवीणता वाले व्यक्ति कौन हैं?

ऐसे व्यक्ति सीमित अंग्रेजी प्रवीणता वाले व्यक्ति, या “LEP” हो सकते हैं, जो अपनी प्राथमिक भाषा के रूप में अंग्रेजी नहीं बोलते तथा जिनमें अंग्रेजी पढ़ने, बोलने, लिखने, या समझने की सीमित क्षमता है।ये व्यक्ति विशिष्ट प्रकार की सेवा, लाभ, या समागम के संबंध में भाषा सहायता के हकदार हो सकते हैं।

अंग्रेजी पढ़ने, बोलने, लिखने, या समझने में व्यक्ति की असमर्थता के आधार पर भिन्न बर्ताव, राष्ट्रीय उत्पत्ति पर आधारित भेदभाव का एक प्रकार हो सकता है।

मैं शिकायत कैसे दर्ज कराऊं?

यदि आपका मानना है कि VTA ने आपकी प्रजाति, रंग, या राष्ट्रीय उत्पत्ति के आधार पर आपके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है, तो आपको VTA के शीर्षक VI समन्वयकर्ता के पास शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। शिकायत कथित भेदभावपूर्ण घटना की तिथि से अधिकतम 180 कैलेंडर दिन के अंदर अवश्य दर्ज कराई जाए।

शिकायत फाइल करने के तरीके

शिकायत दर्ज कराने का पसंदीदा तरीका शीर्षक VI शिकायत फॉर्म का प्रयोग करके लिखित में अपनी शिकायत दर्ज कराना और उसे निम्नलिखित को भेजना है:

Title VI Coordinator
Office of Civil Rights
Santa Clara Valley Transportation Authority
3331 North First Street, B1
San Jose, CA 95134

शीर्षक VI समन्वयकर्ता द्वारा मौखिक शिकायतें स्वीकार की जाएंगी तथा लिखित रूप में परिवर्तित की जाएंगी। मौखिक शिकायत करने के लिए, (408) 321-5571 पर कॉल करें तथा शीर्षक VI समन्वयकर्ता के लिए पूछें। समान रोजगार अवसर आयोग [Equal Employment Opportunity Commission] (EEOC) www.eeoc.gov; संघीय संक्रमण प्रशासन [Federal Transit Administration] (FTA) www.fta.dot.gov; या उचित रोजगार एवं आवास विभाग [Department of Fair Employment and Housing] (DFEH) www.dfeh.ca.gov जैसी बाह्य संस्थाओं के पास भी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। शीर्षक VI शिकायतें दर्ज कराने के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, कृपया संबंधित एजेंसी की वेबसाइट पर सूचनाओं की समीक्षा करें।

यदि VTA एवं बाह्य संस्था के पास शिकायत एकसाथ दर्ज कराई जाती है, तो बाह्य शिकायत VTA शिकायत का अधिक्रमण करेगी एवं VTA की शिकायत प्रक्रियाएं बाह्य संस्था के निष्कर्षों के आने तक स्थगित रहेंगी।

अन्वेषण

औपचारिक शिकायत प्राप्त होने के 10 कार्य दिन के अंदर, शीर्षक VI समन्वयकर्ता शिकायतकर्ता को अधिसूचित करेगा एवं अन्वेषण शुरू करेगा (यदि शिकायत बाह्य संस्था के पास पहले या एकसाथ नहीं दर्ज कराई जाती है)।

अन्वेषणों में VTA के किसी विभाग(गों) के विरूद्ध शिकायत की पूछताछ की जाएगी। अन्वेषण कर्मचारी संबंध विभाग के संयोजन में तथा उसकी सलाह से संचालित किया जाएगा।

अन्वेषण में समस्या का निर्धारण करने के लिए सभी प्रभावित पक्षों के साथ शिकायत की चर्चा (चर्चाएं) शामिल हो सकती है। शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कोई वकील या उसकी अपनी पसंद का अन्य प्रतिनिधि कर सकता है तथा वह अन्वेषण के दौरान गवाहों को ला सकता है एवं प्रमाण व साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

औपचारिक शिकायत प्राप्त होने के 60 दिन के अंदर अन्वेषण संचालित एवं पूरा किया जाएगा।

प्राप्त की गई सभी सूचनाओं के आधार पर, शीर्षक VI समन्वयकर्ता द्वारा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए एक अन्वेषण रिपोर्ट लिखी जाएगी।

शिकायतकर्ता एक पत्र प्राप्त करेगा जिसमें यह उल्लेख होगा कि अंतिम निर्णय 60 दिन की समय सीमा के अंत तक हो जाएगा। अधिकांश अन्वेषण 30 दिन के अंदर पूरे हो जाते हैं।

शिकायतकर्ता को निर्णय के विरूद्ध अपील करने के उसके अधिकार के बारे में अधिसूचित किया जाएगा। अपीलें संघीय संक्रमण प्रशासन [Federal Transit Administration], समान रोजगार अवसर आयोग [Equal Employment Opportunity Commission], या उचित रोजगार एवं आवास विभाग [Department of Fair Employment and Housing] के पास की जा सकती हैं।

SANTA CLARA
Valley Transportation Authority

शीर्षक VI शिकायत फॉर्म

सैंटा क्लारा घाटी परिवहन प्राधिकरण (VTA)

नागरिक अधिकार कार्यालय

जैसा कि 1964 के यथासंशोधित नागरिक अधिकार अधिनियम के शीर्षक VI में प्रावधान है, VTA यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रजाति, रंग, या राष्ट्रीय उत्पत्ति के आधार पर कोई भी व्यक्ति भाग लेने से बाहर न हो या इसकी सेवाओं के लाभों से वंचित न हो। कथित भेदभाव की तिथि से 180 दिन के भीतर शीर्षक VI शिकायतें अवश्य दर्ज कराएं।

आपकी शिकायत पर कार्रवाई करने में हमारी सहायता के लिए निम्नलिखित सूचनाएं आवश्यक हैं। यदि इस फॉर्म को भरने में आपको किसी सहायता की जरूरत हो, तो कृपया (408) 321-5571 पर कॉल करके शीर्षक VI समन्वयकर्ता से संपर्क करें। भरा गया फॉर्म VTA Office of Civil Rights, Title VI Coordinator, 3331 North First Street, Building B-1, San Jose, CA 95134 को वापस अवश्य भेजा जाए।

आपका नाम:	फोन:
स्ट्रीट का पता:	वैकल्पिक फोन:
	शहर, राज्य एवं ज़िप कोड:
वह/वे व्यक्ति, जिनके साथ भेदभाव हुआ (यदि शिकायतकर्ता से इतर कोई अन्य हो): नाम:	
स्ट्रीट का पता, शहर, राज्य एवं ज़िप कोड:	

निम्नलिखित में से कौन सा कथित भेदभाव के कारण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? (जो लागू हों, उन सबको घेर दें)

- प्रजाति
- रंग
- राष्ट्रीय उत्पत्ति (सीमित अंग्रेजी प्रवीणता)

घटना की तारीख: ____________________

शीर्षक VI शिकायत फॉर्म
सैंटा क्लाराघाटी परिवहन प्राधिकरण (VTA)
नागरिक अधिकार कार्यालय

कृपया कथित भेदभाव की घटना का वर्णन करें। VTA के सभी लिप्त कर्मचारियों के नाम एवं पद उपलब्ध कराएं, यदि उपलब्ध हों। बताएं कि क्या हुआ था और आपके विश्वास के अनुसार कौन जिम्मेदार था। यदि अतिरिक्त स्थान की जरूरत हो, तो इस फॉर्म के पिछले भाग का प्रयोग करें।

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

क्या आपने किसी अन्य संघीय, राज्य या स्थानीय एजेंसी के पास शिकायत दर्ज कराई है? (एक को घेर दें) हां / नहीं यदि हां, तो नीचे एजेंसी / एजेंसियों एवं संपर्क सूचनाओं को सूचीबद्ध करें:

एजेंसी: संपर्क का नाम:

स्ट्रीट का पता, शहर, राज्य एवं ज़िप कोड: फोन:

एजेंसी: संपर्क का नाम:

स्ट्रीट का पता, शहर, राज्य एवं ज़िप कोड: फोन:

मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने उपर्युक्त आरोप को पढ़ लिया है तथा यह कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, सूचना एवं विश्वास के अनुसार यह सच है।

शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर: तारीख:

शिकायतकर्ता का नाम बडे अक्षरों में लिखें या टाइप करें

VTA Office Use Only:

Date Received: ____________________________

Received By: ______________________________

सामुदायिक आउटरीच और शीर्षक VI/LEP संपर्क सूची

1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के शीर्षक VI का अनुपालन करने के लिए, VTA सभी व्यक्तियों को अपनी सभी परिवहन सेवाओं एवं सूचनाओं तक गैरभेदभावपूर्ण एवं साम्यपूर्ण पहुंच प्रदान करता है। VTA के पास एक डाक सूची होती है, जिसका प्रयोग ऐसे संगठनों को प्रस्तावित कार्यक्रमों की या परिवहन सेवाओं में परिवर्तनों की सूचनाएं देने के लिए किया जाता है जो विकलांग, अल्पसंख्यक, कम आय या सीमित अंग्रेजी प्रवीणता वाले व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करते हैं। VTA संगठनों या व्यक्तियों को डाक सूची में अपनी संपर्क सूचनाएं स्वेच्छा से प्रविष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। डाक सूची में शामिल होने के लिए, कृपया ऑनलाइन फॉर्म (http://apps.vta.org/title6/) को अंग्रेजी में भरें। यदि आपके कोई प्रश्न हों, तो कृपया VTA से (408)321-2300, (408)321-2330 TTY पर या customer.service@vta.org पर ईमेल से संपर्क करें।